



बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्रमांक 941 / प्रशा. / 2025

भोपाल, दिनांक 3 / 07 / 2025

:: आदेश ::

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल के अध्यादेश क्रमांक 62 में वर्णित प्रावधानुसार विश्वविद्यालय में प्रॉक्टोरियल बोर्ड का पुनर्गठन निम्नानुसार किया जाता है:-

स.क्र.	शिक्षको का नाम, पद एवं विभाग	सौपा गया प्रभार
1.	प्रो. पवन मिश्रा, प्राध्यापक, वाणिज्य विभाग	प्रॉक्टर
2.	प्रो. विपिन व्यास, प्राध्यापक, बायोसाइंस विभाग	संयुक्त प्रॉक्टर
3.	प्रो. अनिता धुर्वे, प्राध्यापक, समाजशास्त्र विभाग	संयुक्त प्रॉक्टर
4.	डॉ. आलोक मिश्रा, सह-प्राध्यापक, शारीरिक शिक्षा विभाग	संयुक्त प्रॉक्टर
5.	डॉ. रूपाली शेवलकर, सहायक प्राध्यापक, आर.पी.ई.जी. विभाग	संयुक्त प्रॉक्टर

म.प्र. विश्वविद्यालय अध्यादेश 62 के बिन्दु क्रमांक 5 के अनुसार उपरोक्त प्रॉक्टोरियल बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष का होगा तथा उक्त बोर्ड को मानदेय के रूप में प्रॉक्टर को रु. 500/- प्रतिमाह एवं संयुक्त प्रॉक्टर को रु. 300/- प्रतिमाह भुगतान देय होगा।

आदेशानुसार


कुलसचिव

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल
भोपाल, दिनांक 3 / 07 / 2025

पृ.क्रमांक 942 / प्रशा. / 2025

प्रतिलिपि:-

1. संबंधित शिक्षको की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
2. सचिव के माध्यम से मान. कुलगुरु जी की ओर सूचनार्थ।
3. निज सहायक के माध्यम से कुलसचिव जी की ओर सूचनार्थ
4. वित्त नियंत्रक, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5. सहायक संचालक, आवासीय संपरीक्षा, ब.वि.वि. भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. समस्त विभागाध्यक्ष/कक्षाधिकारी, ब.वि.वि. भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. प्रभारी आई.टी. सेल की ओर इस आशय के साथ सूचनार्थ कि विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर अपलोड करे।
8. निजी नस्ती।


सहायक कुलसचिव (प्रशासन)
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल